

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

उम्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ३१ जनवरी, 2018

**विषय:** शहरी क्षेत्रों की मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन वस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-महाराजगंज की ०८ परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-५२२४/७६/एक/एबीएमबीवीयाई/२०१५-१६, दिनांक ०८ फरवरी, २०१७ एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा, महाराजगंज के पत्र संख्या-९४/इडा/२०१७-१८ दिनांक ०२.०६.२०१७ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जनपद-महाराजगंज की न०पा०पा०, महाराजगंज की विभिन्न मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल ०८ परियोजनाओं हेतु अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से शासनादेश संख्या-६४४/२०१६/२०४/६९-१-१६-१५(मोब०-८३)/२०१६ दिनांक ०७ अक्टूबर, २०१६ द्वारा रु० २०२.३४ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् रु० १०१.१७ लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन वस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में अनुदान संख्या-८३ में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु० १०१.१७ लाख (रुपये एक करोड़ एक लाख सब्ब हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्णों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस०सी० एस०पा०/टी०एस०पा० योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
२. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-३२/६९-१-१३-१४(३१)२०१२टीसी, दिनांक १६ जनवरी, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
३. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-२-

मौलिक  
कामेन अध्यक्ष

T-126  
३०१८

4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशेषियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
13. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूड़ा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
15. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
16. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।

17. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सुजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/दी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

  
भवद्वीय,


(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।\*

संख्या-18/2018/261(1)/69-1-2017 तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महराजगंज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- १८ /2018/261/69-1-2017-15(म0य0-83)/2016 दिनांक ३। जनवरी, 2018 का  
संलग्नक।

(घनराशि लाख रुपये में)

| क्र०<br>सं० | जनपद<br>का नाम | निकाय एवं<br>नगर<br>पंचायत का<br>नाम | बस्ती एवं वार्ड का नाम  | परियोजना<br>की कुल<br>आंगणित<br>लागत । | द्वितीय/अंतिम<br>किश्त के रूप में<br>स्वीकृत घनराशि |
|-------------|----------------|--------------------------------------|---|--|---|
| 1           | 2              | 3                                    | 4   | 5                                      | 6   |
| 1.          | महाराजगंज      | न०पा०प०<br>महाराजगंज                 | वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री नूर<br>लेनी के मकान से श्री मुरारी के मकान होते<br>हुए श्री दरोण लाल के मकान तक<br>इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य। | 20.46                                  | 10.23   |
| 2.          | तदैव           | तदैव                                 | वार्ड नं०-२ के मो० शिव नगर में जर्खनी के<br>प्लाट से भकोले के प्लाट होते हुए परदेशी के<br>प्लाट तक इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण<br>कार्य।                      | 29.30                                  | 14.65   |
| 3.          | तदैव           | तदैव                                 | वार्ड नं०-४ के मो० राजीव नगर में श्री प्रदीप<br>के बगीचे के पास से श्री संजय शर्मा के मकान<br>तक इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य।                           | 16.97                                  | 8.485   |
| 4.          | तदैव           | तदैव                                 | वार्ड नं०-८ के मो० राजीव नगर में महेन्द्र<br>मास्टर के मकान से श्री यादव के मकान तक<br>इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य।                                     | 20.79                                  | 10.395  |
| 5.          | तदैव           | तदैव                                 | वार्ड नं०-२४ के मो० सक्षेत्रा नगर में श्रीमती<br>गीता देवी के मकान से श्री अनिलद जायसवाल<br>के मकान तक इण्टरलाइंग रोड व नाली<br>निर्माण कार्य।                  | 24.92                                  | 12.46   |
| 6.          | तदैव           | तदैव                                 | वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री धनई<br>के मकान से श्रीमती सुमित्रा के मकान तक<br>इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य।                                   | 35.11                                  | 17.555  |
| 7.          | तदैव           | तदैव                                 | वार्ड नं०-१७ के मो० पड़री बुजुर्ग में श्री जयाहर<br>के मकान से श्री नन्द चिपाठी के मकान तक<br>इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य।                              | 44.02                                  | 22.01   |
| 8           | तदैव           | तदैव                                 | वार्ड नं०-१७ के मो० पड़री बुजुर्ग में श्री सत्ते<br>के मकान से श्री गिथिलेश की दुकान तक<br>इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य।                                 | 10.77                                  | 5.385   |
| योग         |                |                                      |   | 202.34                                 | 101.17  |

(रुपये एक करोड़ एक लाख सत्रह हजार मात्र)।

  
(अधिकारी ब्रह्मचारी)

अनु संचिव।